

**न्यायालय: सत्र न्यायाधीश, एटा**

उपस्थित: कमालुद्दीन, एच०जे०एस०

जे०ओ० कोड सं०- यू० पी० 6538

**अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 327/2026**

(C.N.R. UPET010008172026)

मानसिंह उम्र करीब 70 वर्ष पुत्र चुन्नीलाल निवासी मरहैया, थाना जैथरा, जिला एटा।

-----आवेदक/अभियुक्त

**बनाम**

उ०प्र० सरकार

-----विपक्षी

मु०अ०सं०-124/2025

धारा-80(2), 85 बी०एन०एस० एवं

3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम

थाना-जैथरा, जिला एटा।

**11-03-2026**

आवेदक/अभियुक्त मानसिंह की ओर से मुकदमा अपराध संख्या-124/2025 धारा-80(2), 85 बी०एन०एस० एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना-जैथरा, जिला एटा के मामले में अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा उल्लिखित किया गया है कि यह उसका प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी प्रवेश ने अपनी पुत्री सविता उम्र करीब एकसाल की शादी दो वर्ष पूर्व नीरज पुत्र मान सिंह के साथ की थी। शादी के बाद से ही उसका दामाद उसकी पुत्री को दहेज के लिये प्रताडित करता था, दहेज में अतिरिक्त चैन व अंगूठी की माँग करता था तथा उसके परिवारीजन मान सिंह, मुलायम सिंह, गीता, रीता, कविता, सुनील, फूलनदेवी, संतोष, सुमन, शैलेन्द्र भी उसकी पुत्री को प्रताडित करते थे। दिनांक 10/05/2025 को समय करीब 10 बजे उसे खबर मिली कि उसकी पुत्री का गला दबाकर हत्या कर दी गयी है।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ०) के तर्क सुना व उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदक के विरुद्ध गैर जमानतीय अपराध में झूठा अपराध पंजीकृत कराया गया है, जिससे आवेदक को गिरफ्तार किया जा सकता है, जिसमें उसकी सामाजिक व मानसिक अपूर्णनीय क्षति होगी। आवेदक व अन्य के विरुद्ध झूठे तथ्यों के साथ अपराध पंजीकृत कराया गया है कि वादी की पुत्री सविता को अतिरिक्त दहेज में चैन व अंगूठी से प्रताडित करते थे 10.05.2025 को गला दबाकर हत्या कर दी। आवेदक पर लगाया गया आरोप मृत्यु दण्ड से दण्डनीय नहीं है। आवेदक मृतका का ससुर है तथा 70 वर्षीय वृद्ध है तथा बीमार रहता है। मुख्य अभियुक्त पति की नियमित जमानत माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से स्वीकार हो चुकी है। पोस्टमार्टम में मृतका की मृत्यु फॉसी से होना दर्शाया गया है तथा पोस्टमार्टम में रिपोर्ट अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं करती है। अन्य सभी नामजद अभियुक्तगणों की नामजदगी दौरान विवेचना झूठी पायी जाती है। आवेदक का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। उक्त आधारों पर अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने की याचना की गयी।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुये विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से तर्क किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री सविता से अतिरिक्त दहेज में एक चैन व अंगूठी की माँग की गयी, जिसकी पूर्ति न होने पर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया एवं वादी की पुत्री सविता की हत्या अतिरिक्त दहेज की पूर्ति न होने पर कारित की गयी है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। उक्त आधारों पर अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) के तर्क सुना व उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

धारा-482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में अग्रिम जमानत का प्रावधान निम्न प्रकार अंकित है-

(1) जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि हो सकता है उसको किसी अजमानतीय अपराध के किये जाने के अभियोग में गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह इस धारा के अधीन निदेश के लिए उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय को आवेदन कर सकता है और यदि वह न्यायालय ठीक समझे तो वह निदेश दे सकता है कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसको जमानत पर छोड़ दिया जाये।

(2) जब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय उपधारा (1) के अधीन निदेश देता है तब वह उस विशिष्ट के के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उन निदेशों में ऐसी शर्तें, जो वह ठीक समझे, सम्मिलित कर सकता है, जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं-

- i. यह शर्त कि वह व्यक्ति पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिए जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगा;
- ii. यह शर्त कि वह व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा;
- iii. यह शर्त कि वह व्यक्ति न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
- iv. ऐसी अन्य शर्तें जो धारा 480 की उपधारा (3) के अधीन ऐसे अधिरोपित की जा सकती हैं मानो उस धारा के अधीन जमानत मंजूर की गई हो।

(3) यदि तत्पश्चात् ऐसे व्यक्ति को ऐसे अभियोग पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा वारण्ट के बिना गिरफ्तार किया जाता है और वह या तो गिरफ्तारी के समय या जब वह ऐसे अधिकारी की अभिरक्षा में है तब किसी समय जमानत देने के लिए तैयार है, तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा; तथा यदि ऐसे अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट यह विनिश्चय करता है कि उस व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम बार ही वारण्ट जारी किया जाना चाहिए, तो वह उपधारा (1) के अधीन न्यायालय के निदेश के अनुरूप जमानतीय वारण्ट जारी करेगा।

(4) इस धारा की कोई बात भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 65 या धारा 70 की उपधारा (2) के अधीन किसी अपराध को कारित करने के अभियोग पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अंतर्वलित करने वाले किसी मामले को लागू नहीं होगी।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा श्री गुरुबक्स सिंह सिबिया व अन्य बनाम स्टेट आफ पंजाब राज्य (1980)2 सुप्रीम कोर्ट केसेज पेज 565 में यह अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायालय को अग्रिम जमानत पर आदेश पारित करते समय यह निर्धारित करना चाहिए कि अपराध की गम्भीरता कितनी है और क्या अभियुक्त की उपस्थिति विचारण के

दौरान सुनिश्चित की जा सकेगी अथवा वह मुकदमे के गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा। इसके अलावा जनहित व राज्य का हित भी न्यायालय को अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निस्तारित करते समय ध्यान में रखना चाहिए।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सिद्धाराम सत्यलिंगप्पा महेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य 2011 (1) सुप्रीम कोर्ट केसेज पेज 694** की विधि व्यवस्था के प्रस्तर संख्या 112 में यह भी निर्धारित किया गया है कि न्यायालय को अग्रिम जमानत निस्तारित करते समय निम्नलिखित माप दण्ड अपनाया जाना चाहिए—

1. अपराध की प्रकृति एवं उसकी गम्भीरता तथा अपराध कारित करने वाले अभियुक्त की भूमिका,
2. अभियुक्त का आपराधिक इतिहास तथा यदि वह किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि में जेल गया हो,
3. अभियुक्त के मुकदमे के विचारण के दौरान अनुपस्थित होने की सम्भावना,
4. अभियुक्त द्वारा पुनः ऐसे ही अपराध की पुनरावृत्ति किये जाने की सम्भावना,
5. अभियुक्त को केवल चोट पहुँचाये जाने अथवा प्रताड़ित किये जाने हेतु गिरफ्तार किया जाना,
6. अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने से जनता के लोगों में उसका प्रभाव,
7. न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों पर अत्यधिक सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए,
8. अग्रिम जमानत आवेदन पत्र का निस्तारण करते समय न्यायालय को दोनो तथ्यों पर विचार करना चाहिए कि विवेचना स्वतंत्र, साफ सुथरी हो और अभियुक्त का भी कोई उत्पीड़न या अपमान करने का आशय नहीं होना चाहिए,
9. अभियुक्त के द्वारा गवाहों को, अथवा वादी को कोई धमकी, उत्प्रेरणा या वचन दिये जाने की सम्भावना का भी ध्यान रखना चाहिए,
10. न्यायालय को अग्रिम जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय सभी सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखना चाहिए तथा अभियोजन पक्ष के केस में यदि संदेह हो, तब जमानत दिया जाना चाहिए। इसके अलावा सामान्यता अभियुक्त को जमानत दिया जाना चाहिए—

मृतका सविता की शव-विच्छेदन आख्या में उसके गर्दन पर लिगेचर मार्क होना एवं मृतका की मृत्यु का कारण, मृत्यु पूर्व फांसी लगने से श्वांसरोध होने के कारण अंकित है।

यहाँ यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा कि मामले में सहअभियुक्त नीरज का नियमित जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है, जो कि मृतका का पति है तथा आवेदक/अभियुक्त मानसिंह, मृतका का ससुर है तथा मृतका की मृत्यु, विवाह के सात वर्ष के अन्दर, सामान्य परिस्थितियों से इतर अभियुक्त के घर में हुयी है। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। प्रथम दृष्ट्या मामला गंभीर प्रकृति का दर्शित होता है। मामले के समस्त तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये इस स्तर पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध आक्षेपित आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। मामले के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने हेतु पर्याप्त आधार नहीं है। आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **मानसिंह** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या-124/2025 धारा-80(2), 85 बी०एन०एस० एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना-जैथरा, जिला एटा के मामले में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक: 11-03-2026

कृते सत्र न्यायाधीश,  
एटा।